



झारखण्ड सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

“सर्वसाधारण के लिए जन्म एवं मृत्यु निबंधन के संदर्भ में आवश्यक सूचना

जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं झारखण्ड जन्म एवं मृत्यु निबंधन नियमावली, 2009 के तहत जन्म एवं मृत्यु का निबंधन कराना अनिवार्य है।



जन्म एवं मृत्यु निबंधन कैसे कराएँ ?

- ❖ जन्म तथा मृत्यु की घटना के 21 दिन में निःशुल्क निबंधन करवाएँ।
- ❖ निबंधन का कार्य शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र समिति में अधिकृत निबंधक के द्वारा किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव के द्वारा किया जाता है।
- ❖ आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए केवल भारत सरकार द्वारा अधिकृत **Uniform CRS Web Portal – crsorgi.gov.in** पर ही आवेदन करें।
- ❖ इससे बच्चे को मिलती है कानूनी पहचान और सरकारी सुविधाएँ।
- ❖ जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण करवा कर प्रमाण पत्र लेना ना भूलें।
- ❖ जन्म तथा मृत्यु का प्रमाण पत्र प्राप्त करने में यदि किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो आवेदक संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-अपर जिला निबंधक (ग्रामीण क्षेत्र)/जिला स्तर पर जिला सांख्यिकी पदाधिकारी-सह-अपर जिला निबंधक (शहरी क्षेत्र)/उपायुक्त-सह-जिला निबंधक (जन्म एवं मृत्यु) से सम्पर्क कर सकते हैं।
- ❖ राज्य स्तर पर अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, झारखण्ड, राँची में 8340470227 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।



। R; d tUe , oa eK; q dk i athdj .k vo' ; dj k, jA
i athdj .k Web Portal: crsorgi.gov.in i j Online gkrk gA

